डी0एल0एड0 (पूर्व प्रचलित नाम बी0टी0सी0) प्रशिक्षण 2017 में ऑन लाइन आवेदन हेतु सामान्य दिशा निर्देश

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 हेतु निर्गत शासनादेश सं0 1571/15—11—2017—2067/2013 दिनांक 28.07.2017 एवं मूल शासनादेश 804/15—11—2017—2067/2013 दिनांक 05.06.2017 के अनुपालन में प्रदेश के शासकीय संस्थानों एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों जिन्हें एन0सी0टी0ई0 की मान्यता के उपरान्त प्रदेश शासन द्वारा शैक्षिक सत्र 2017—18 हेतु सम्बद्धता प्रदान की गयी है, में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 में चयन हेतु **ऑन लाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को **दिनांक 02.08.2017 की अपरान्ह से** वेबसाइट **upbasiceduboard.gov.in** पर ऑन लाइन पंजीकरण/आवेदन कर सकते हैं। ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्रेषित किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

प्रदेश में डी0एल0एड0 (पूर्व नाम बी0टी0सी0) प्रशिक्षण के अन्तर्गत चयन हेतु ऑन—लाइन आवेदन/चयन प्रक्रिया निम्नवत् दिशा निर्देशों के अनुसार की जाएगी —

शासनादेश सं0 804/15—11—2017—2067/2013 दिनांक 05.06.2017 के अनुपालन में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 05.07.2017 के क्रम में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2016 हेतु ऑन लाइन आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 के लिये विचार किये जायेंगे।

1— डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण —

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण का सेवापूर्व दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स होगा, जिसे प्रदेश में बेसिक टीचर सर्टीफिकेट (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता था, एन0सी0टी0ई0 विनियमावली 2014 परिशिष्ट 2 के अनुसार अब इस कोर्स को डिप्लोमा इन एलीमेन्ट्री एजूकेशन (D.El.Ed.) कहा जायेगा। ऑन—लाइन आवेदन पत्र के प्रारूप को e—आवेदन पत्र कहा जायेगा।

2— प्रशिक्षण हेतु आवेदन—

डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 व आगामी प्रशिक्षण के लिए आवेदकों द्वारा किसी भी एक जनपद अथवा गृह जनपद से आवेदन किया जायेगा। उसके द्वारा किया गया आवेदन समस्त जनपदों हेतु मान्य होगा।

3— सीटों पर चयन—

i. डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु एन0सी0टी0ई0 द्वारा डायट एवं निजी संस्थानों हेतु अनुमन्य सीटों पर कला/विज्ञान, पुरुष/महिला का विभाजन किये बिना समस्त आवेदकों का चयन मेरिट द्वारा किया जायेगा।

ii. <u>एन0सी0टी0ई0 से मान्यता तथा प्रदेश शासन से सम्बद्धता प्राप्त ऐसी निजी संस्थायें, जो केवल महिलाओं हेतु हैं, में महिला अभ्यर्थी ही चयनित की जायेंगी।</u>

4— आवेदन हेतु पात्रता—

i. **शैक्षिक अर्हता —** डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 व आगामी प्रशिक्षण में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑन—लाइन आवेदन करने के पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों तथा जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व **<u>माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं CBSE (सी.बी.एस.ई.) से मान्यता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल व उसके समकक्ष तथा इन्टरमीडिएट व उसके समकक्ष घोषित परीक्षा</u>** एवं विधि द्वारा स्थापित एवं यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक (स्वयं) के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 05 प्रतिशत की छूट होगी।

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एवं **COBSE** (कोबसे) द्वारा अमान्य तथा **यू0जी0सी0 द्वारा फर्जी तथा अमान्य घोषित की गयी संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से किसी भी स्तर (हाईस्कूल, इन्टर तथा स्नातक) की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे। प्रदेश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली प्रचलित है। एकरूपता की दृष्टि से एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन के पात्र नहीं होंगे।**

ii. आयु – आवेदन हेतु अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन किया जायेगा, अर्थात् **01 जुलाई 2017 को 18 वर्ष से कम न हो। अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2016 के अन्तर्गत ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 हेतु अनुमन्य किये जाने के कारण अधिकतम आयु की गणना 01 जुलाई 2016 को 35 वर्ष से अधिक न हो की जायेगी।** न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट न होगी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जाति को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की सामान्य छूट होगी। दिव्यांग (विकलांग) अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट रहेगी। भूतपूर्व सैनिकों की आयु में छूट नियमानुसार ''यदि सेना के किसी भूतपूर्व कर्मचारी द्वारा सेना में की गयी सेवा की सम्पूर्ण अवधि उसकी वास्तविक आयु में से घटा दी जाती है और यदि इस प्रकार घटायी गयी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जाता है कि वह ऐसी सेवाओं तथा पदों पर भर्ती की आयु से सम्बन्धित शर्तों को पूरा करता है।'', देय होगी।

5– आवेदन पत्र आमत्रित किया जाना –

(i) अभ्यर्थियों से **e–आवेदन पत्र** आमंत्रित करने हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा प्रदेश के दो बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी।

(ii) ऑन लाइन आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें। डाक द्वारा व अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार/मान्य नहीं होंगे।

(iii) **e–आवेदन पत्र** का प्रारूप, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **अन्तिम निर्धारित तिथि को सायं समय 06:00 बजे तक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में शुल्क निर्धारित माध्यम के अनुसार जमा करनी होगी।**

(iv) e–आवेदन पत्र भरने की अंतिम निर्धारित तिथि के बाद के घोषित परीक्षाफल, शैक्षिक अंकपत्र, आरक्षण प्रमाण पत्र एवं विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रवेश के समय स्वीकार्य नही होंगे। आवेदन की अंतिम तिथि तक इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र को मान्य करते हुए अभ्यर्थी से इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि भविष्य में सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की विसंगति होती है तो उनका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(v) प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखीय जाँच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में जो सूचनायें अंकित की जायेंगी/विभिन्न परीक्षाओं के जो अंक उल्लिखित किये जायेंगे/जिस श्रेणी के आरक्षण/विशेष आरक्षण का दावा किया गया होगा, उन्ही का लाभ अभ्यर्थी को चयन में दिया जायेगा। ऑन–लाइन आवेदन में प्रविष्टियाँ अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण सावधानी के साथ भरी जानी चाहिये, क्योंकि यही चयन का आधार है। ऑन–लाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरे गये विवरण का प्रिन्ट–आउट, ई–चालान/ऑन–लाइन पेमेंट का प्रिन्ट–आउट (विकलांग अभ्यर्थियों को छोड़कर) तथा पूर्ण आवेदन पत्र का प्रिन्ट–आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें।

(vii) **अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय आरक्षण/विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण/विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जायेगा।**

(viii) यदि किसी अभ्यर्थी की अंकतालिका में प्राप्तांक/पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड प्वाइंट का उल्लेख हो तो ऐसे अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय से ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन का फार्मूला ज्ञात कर तद्नुसार प्रतिशत निकाल लेंगें तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तित कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में कनवर्जन करने पर आता है। ऐसे अभ्यर्थियों को कुल सचिव/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड प्वाइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड प्वाइंट को प्रतिशत में परिवर्तित करने का सूत्र (फॉर्मूला) अभिलेखीय जाँच के समय साथ लाना होगा।

(ix) **यदि अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र की त्रुटि में संशोधन/निराकरण करने हेतु निम्नलिखित दो उपाय है–**

(क) यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑन–लाइन आवेदन 'Lock/Submit' करने के उपरान्त अपने भरे गये आवेदन पत्र में किसी त्रुटि को संशोधित करना चाहता है तो उसे ऑन–लाइन आवेदन करने की निर्धारित अंन्तिम तिथि से पूर्व पुनः पंजीकरण कराकर पुनः फीस जमा करने के उपरान्त नया आवेदन फार्म भरना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी द्वारा जिस नाम से बैंक में शुल्क जमा किया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा भरे गये पूर्व के आवेदन पत्र को निरस्त करते हुए केवल अंतिम आवेदन पत्र को ही मान्य किया जायेगा।

(ख) **ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित तिथि के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के कतिपय विशिष्टियों में निर्धारित तिथि के अन्दर संशोधन किया जा सकता है परन्तु किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी के आवेदित जनपद, नाम तथा विशेष आरक्षण की श्रेणी से सामान्य/सामान्य श्रेणी से विकलांगता की श्रेणी में संशोधन स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

आवेदक विकलांग श्रेणी में संशोधन सिर्फ विकलांग श्रेणी की एक उप–श्रेणी से दूसरी उप–श्रेणी में ही कर सकता है। आवेदन शुल्क की समानता के कारण आवेदक मात्र सामान्य वर्ग से अन्य पिछड़ा वर्ग के परस्पर तथा अनुसूचित जाति से अनुसूचित जन जाति के परस्पर ही संशोधन कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में किन–किन विशिष्टियों में संशोधन किया जा सकता है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र में अंकित विवरण की सत्यता के सम्बन्ध में यह अनुबंध पत्र दिया जायेगा कि यदि उसके द्वारा अंकित किया गया विवरण त्रुटिपूर्ण/असत्य है, तो न केवल उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा, अपितु उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा यह भी घोषणा की जायेगी कि आवेदन पत्र प्रेषण की तिथि को उसके पास आवेदन पत्र में उल्लिखित समस्त अंकपत्र, आरक्षण एवं विशेष आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। आवेदन पत्र प्राप्त होने की अन्तिम निर्धारित तिथि के बाद की तिथि का निर्गत (जाति प्रमाण पत्र को छोड़कर) कोई भी अंकपत्र एव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी को अपनी पहचान (Identity) के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त राशन कार्ड, यू0आई0डी0 में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा।

6– चयन/अभिलेखीय जाँच की प्रक्रिया–

(i) डी0एल0एड0 प्रशिक्षण–2017 एवं आगामी प्रशिक्षण हेतु चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर गुणांक का आगणन करते हुये श्रेष्ठता सूची तैयार की जायेगी तथा वरीयताक्रम में वर्ग/श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जायेगी। गुणांक के आगणन में प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को दशमलव के दो अंकों में पूर्णांकित (round off) किया जायेगा। ***चयन के समय यदि एक ही वर्ग/श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते है तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जायेगी।***

(ii) जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों तथा एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों के लिए आंवटित सीटों के प्रति प्रशिक्षण हेतु संस्थान का ऑन–लाइन आवंटन एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवयेर के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों एवं सम्बद्धता प्राप्त निजी डी0एल0एड0 संस्थानों में वर्गवार/श्रेणीवार आवंटित सीटों की संख्या (सीट मैट्रिक्स) निर्धारित वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों द्वारा उक्त सीट मैट्रिक्स के माध्यम से ही प्रशिक्षण हेतु संस्था का ऑन लाइन विकल्प मांगा जायेगा।

(iv) संस्था आवंटन हेतु ऑन–लाइन विकल्प भरने सम्बन्धित सामान्य निर्देश एवं तकनीकी निर्देश निर्दिष्ट वेबसाइट पर उपयोगार्थ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **अन्तिम निर्धारित तिथि को सायं 06:00 बजे तक ही ऑन–लाइन विकल्प भरा जा सकेगा।**

(v) **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से लेकर प्रशिक्षण प्रारम्भ कराने की निर्धारित तिथि की सूचना एकीकृत रूप से उत्तर प्रदेश के बहुप्रसारित समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में प्रकाशित की जायेगी।**

(vi) अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय ही अभिलेखीय जाँच अभ्यर्थियों को आवंटित संस्था द्वारा सम्पादित करायी जायेगी। अभिलेखों की जाँच का तात्पर्य डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रवेश की सुनिश्चितता नही है। डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश मेरिट के आधार पर रिक्तियों के सापेक्ष ही किया जायेगा।

(vii) यदि प्रवेश हेतु संस्तुत अभ्यर्थी अपने आवंटित कालेज में निर्धारित अवधि तक उपस्थित नही होते है तो ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित कालेज में प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर अन्य अभ्यर्थी संस्तुत किये जायेगें। प्रवेश हेतु अभिलेखीय जाँच से सभी सीटे भर जायें, इसके लिए आवश्यक है कि निजी संस्थान अपने वेवसाइट को प्रतिदिन अपडेट (अद्यतन) करते रहें तथा सीटों की संख्या, प्रवेशित छात्रों की संख्या, रिक्त सीटों की संख्या तथा बैंक एकाउन्ट के विवरण अपने वेवसाइट पर इस प्रकार प्रदर्शित करते रहें, जिससे इसकी सूचना डायट एवं सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रतिदिन होती रहे। जिस अभ्यर्थी को अभिलेखीय जाँच से प्रवेश हेतु मेरिट एवं विकल्प के आधार पर कालेज आवंटित कर दिया जाये वह अपने आवंटित कालेज के बैंक एकाउन्ट में सी0बी0एस0 द्वारा अभिलेखों की जाँच के दिनांक से 03 दिन के अन्दर शुल्क जमा करेंगे तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा अभिलेखीय जाँच अथॉरिटी/ आवंटित सम्बन्धित संस्थान के समक्ष शुल्क जमा करने का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। सम्बन्धित कालेज उसे अपने कालेज के वेबसाईट पर अभ्यर्थी के विवरण सहित प्रदर्शित करेंगे तथा तदनुसार अभिलेखीय जाँच अथॉरिटी/आवंटित सम्बन्धित संस्थान संस्थावार आवंटन, प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन अपडेट करते रहेगें।

यदि कोई अभ्यर्थी अपने लिए आवंटित कालेज के सी0बी0एस0 एकाउन्ट में शुल्क जमा करने में कोई कठिनाई पाता है तो वह शीघ्र अभिलेखीय जाँच अथारिटी अर्थात अभ्यर्थी को आवंटित संस्था या सम्बन्धित कालेज या सम्बन्धित डायट से सम्पर्क करेंगे

(viii) **प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी –**

a) आवेदन पत्रों में की गयी प्रविष्टियों के आधार पर अवरोही क्रम में मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी।

b) मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की रैंक निर्धारित की जायेगी, जो चयन का आधार होगा।

c) निर्धारित रैंक के अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में अपनी पसन्द की सीट का विकल्प निर्धारित अवधि में ऑन–लाइन पूरित करेंगे इस अवधि के बाद एन0आई0सी0 द्वारा सीट आवंटन हेतु प्रॉसेसिंग की जायेगी।

d) इस प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जायेगा। यदि प्रथम राउण्ड में चयनित/मेरिट का अभ्यर्थी अपनी गलती/शिथिलता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाया, तो वह भी द्वितीय राउण्ड में वर्ग/श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन हेतु विचारित होगा।

e) अभ्यर्थियों द्वारा भरे गये विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो संस्थान/सीट आवंटित होता है, तो उस संस्थान के प्राचार्य का दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की आई0डी0, आधार कार्ड, अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति आदि से संतुष्ट हो लें और निर्धारित शुल्क ई–पेमेंट/बैंक ड्राफ्ट से जमा कराते हुए भरी गयी सीटों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड करायेंगे।

f) चयन हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई चयन नहीं किया जायेगा। चूँकि अभ्यर्थियों द्वारा ही संस्थान/सीट का विकल्प दिया गया है, अतः अन्तिम तिथि तक किसी संस्थान की सीट खाली रह जाने की जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी।

g) निजी संस्थानों द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची उनके समस्त विवरण के साथ अपने जनपद के प्राचार्य डायट को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राचार्य डायट का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे निजी संस्थानों द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रवेशित अभ्यर्थियों के मेरिट, वर्ग/श्रेणी व आवेदन इत्यादि की जाँच भली–भाँति कर लें।

7– निर्धारित शुल्क–

i. ऑन–लाइन आवेदन पंजीकरण करने के बाद आवेदक ऑन–लाइन e–पंजीकरण का प्रिंट प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे और भारतीय स्टेट बैंक की बेबसाइट के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करेंगे।

ii. **आवेदन शुल्क का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से** पंजीकरण के दिनांक से अगले बैंक कार्यदिवस में किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने हेतु बैंक द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क अभ्यर्थी द्वारा देय होगा।

iii. ई–चालान/ऑन–लाइन माध्यम द्वारा आवेदन शुल्क, ऑन–लाइन आवेदन के दिनांक/दिवस को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा नही हो सकेगा। आवेदन शुल्क जमा करने पर ही ऑनलाइन आवेदन की अवशेष प्रक्रिया पूर्ण होगी। ई–चालान/ऑन–लाइन के माध्यम से आवेदन शुल्क स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के अलावा किसी भी बैंक में जमा किया जाना सम्भव नही होगा।

iv. ऑन–लाइन आवेदन केन्द्रीयकृत पैटर्न पर प्राप्त किये जायेंगे।

v. **डी0एल0एड0 प्रशिक्षण में e–आवेदन पत्र हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क रू0 200/– होगा तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिये शुल्क रू0**

400/– होगा एवं विकलांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा। निर्धारित शुल्क को ई–चालान **(ई–चालान की धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से)** द्वारा मात्र स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा में जमा किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने के दो बैंक कार्य दिवस के बाद अभ्यर्थी अपने ऑन–लाइन आवेदन पत्र के अवशेष भाग में प्रविष्टि कर सकेगा।

vi. **सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद** द्वारा ई–चालान से आवेदन शुल्क की धनराशि प्राप्त किये जाने के लिये अनिवार्य रूप से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की निकटवर्ती शाखा में खाता खोलना है। ऑन–लाइन आवेदन शुल्क की धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार अन्य आकस्मिक व्यय हेतु किया जायेगा।

8– आरक्षण–

i. अभ्यर्थियों के चयन में चयन की तिथि को राज्य सरकार की विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण व्यवस्था की जायेगी।

ii. आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3 (3) के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीट को आपस में क्रमशः अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से भरा जा सकता है।

iii. विकलांगों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं) का कोटा चयन की तिथि को उपलब्ध अद्यतन उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993, 1997 तथा 1999 (यथा संशोधित) के अनुसार होगा।

iv. विशेष आरक्षण श्रेणी के अंतर्गत अर्ह आवेदक उपलब्ध न होने पर उक्त सीटों को श्रेणीवार अर्ह अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

9– प्रवेश प्रक्रिया –

(i) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु संस्थान आवंटित किये जाने के पश्चात् प्रवेश/ चयन का समस्त कार्य सम्बन्धित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/निजी संस्थान के प्राचार्य द्वारा शासनादेश एवं आरक्षण नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

(ii) उत्तर प्रदेश के निम्नवत् जनपदों, जहां स्थापित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एन0सी0टी0ई0 द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण हेतु सीटों की मान्यता प्राप्त नहीं है अथवा नवसृजित जनपदों, जहां जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की स्थापना नहीं हो सकी है (कॉलम–1), उक्त जनपद जिस अविभाजित पूर्व/मूल जनपद का हिस्सा है (कॉलम–2)।

कॉलम–1	कॉलम–2
कासगंज	डायट, हरचन्दपुरकला–एटा
संतकबीरनगर	डायट, प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स–बस्ती
अम्बेडकरनगर	डायट, फैजाबाद
बलरामपुर	डायट, दर्जीकूआँ–गोण्डा
हमीरपुर	डायट, चरखारी–महोबा
अमेठी	डायट–सुल्तानपुर
गाजियाबाद	डायट–हापुड़
शामली	डायट–मुजफ्फरनगर
सम्भल	डायट, कांठ–मुरादाबाद

उपरोक्त कॉलम–1 के जनपदों के अभ्यर्थियों की डी0एल0एड0 प्रशिक्षण 2017 व अगामी सत्रों की अभिलेखीय जाँच/चयन प्रक्रिया कॉलम–2 के जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संपादित की जाएगी।

(iii) प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो से अभ्यर्थी का मिलान कर लिया जाय तथा उसकी पुष्टि फोटो आई0डी0 से भी की जाय। बाद में उनके मूल अभिलेखों की जांच/सत्यापन भी सम्बन्धित निर्गमन संस्थाओं से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्येक स्थिति में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के पहले कराया जायेगा। चयन/जाँच/ प्रवेश/प्रशिक्षण/नियुक्ति किसी भी स्तर पर विसंगति पाये जाने पर चयनित/ छद्म तरीके से चयन प्रक्रिया में आने की पुष्टि हाने पर प्रशिक्षित/ प्रशिक्षणोपरान्त नियुक्त अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराते हुये विधिक कार्यवाही की जायेगी।

10– <u>प्रशिक्षण शुल्क</u>–

i. डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण दो वर्षीय नियमित अनावासीय (Regular) प्रशिक्षण है, जिसमें चार सेमेस्टर हैं। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष रू0 10,200/– होगा। उक्त शुल्क का मदवार विवरण संलग्न है।

ii. निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या–1441/15–11–2014 दिनांक 10 सितम्बर, 2014 के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 41,000/– होगा।

iii. निजी संस्थानों द्वारा अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की उसकी पुष्टि होने पर उनकी सम्बद्धता शासन द्वारा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए निजी संस्थान स्वयं उत्तरदायी होंगे।

iv. प्रशिक्षण अनावासीय होगा। अतः आवास/छात्रावास हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

v. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का मानदेय (स्टाईपेण्ड) देय नहीं होगा।

12– **अल्पसंख्यक संस्थान**–

एन0सी0टी0ई0 से डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) प्रशिक्षण हेतु मान्यता तथा राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किया गया है, उन अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा आवंटित सीटों (एन0सी0टी0ई0 द्वारा आवंटित सीट संख्या) के सापेक्ष 50 प्रतिशत सीटों पर **शासनादेश सं0 653/15–11–2015 दिनांक 10.06.2015 तथा यथासंशोधित शासनादेश सं0 612/15–11–2017 दिनांक 25.05.2017** एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों तथा निर्देशों के अनुसार **50 प्रतिशत सीटों पर अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा स्वयं प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी** ।

13– **ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य एवं दायित्व** –

(i) ऑन लाइन आवेदन एवं चयन की प्रक्रिया हेतु सॉफ्टवेयर के निर्माण एवं विकास का कार्य राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(ii) आवेदन की प्रक्रिया की विशिष्टताओं आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपेक्षित सूचनाओं की सुलभता सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा एन0आई0सी0, लखनऊ को करायी जायेगी, जिससे ऑन–लाइन आवेदन हेतु उत्तम एवं प्रभावी सॉफ्टवेयर को विकसित कराया जा सके।

(iii) ऑन–लाइन आवेदन प्रक्रिया के सापेक्ष आवेदन शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) जमा करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के साथ सभी आवश्यक दशायें एवं शर्ते बैठक कर निर्धारित कर लें। तद्नुसार बैंक के साथ सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद लिखित अनुबंध/एम0ओ0यू0 विधिक प्रालेख्य के रूप में संयुक्त हस्ताक्षरित कर अभिलेखित कर लें।

(iv) तकनीकी कारणों से ऑन लाइन आवेदन दिवस/दिनांक के अगले कार्यदिवस को अभ्यर्थी आवेदन शुल्क (धनराशि अभ्यर्थी द्वारा नगद/इंटरनेट बैकिंग/ए0टी0एम0 कार्ड/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की किसी भी शाखा पर जमा करने की कार्यवाही कर सकेगें।

(v) तकनीकी कारणों से प्रत्येक कार्यदिवस में होने वाले ऑन–लाइन आवेदन पत्र की डाटा फाइल एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर के माध्यम से व स्टेट डाटा सेन्टर (यू0पी0डेस्को) के नियन्त्रणाधीन लखनऊ के सर्वर से सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के निर्दिष्ट तकनीकी कार्मिक/सहायक द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सर्वर/ई–मेल पर ट्रान्सफर/प्रेषित करना होगा। बैंक को प्रेषित डाटा फाइल्स के आधार पर ही स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा आवेदन शुल्क डाटा फाइल्स से अभ्यर्थी की पुष्टि कर जमा किया जा सकेगा।

(vi) एन0आई0सी0, लखनऊ द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण के लिए आवेदन हेतु विकसित सॉफ्टवेयर के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) ऑन लाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को डाटा का तकनीकी रखरखाव एवं बैक–अप यू0पी0 डेस्को सुनिश्चित करेगा।

<u>चयन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय सारिणी –</u>

क0सं0	कार्य का विवरण	निर्धारित अवधि
1	आनलाईन रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ करने की तिथि	दिनांक 02 अगस्त 2017 को अपराह्न से
2	आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारम्भ तिथि	दिनांक 03 अगस्त 2017 से
3	आनलाईन रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि	दिनांक 10 अगस्त 2017 सायं 06.00 बजे तक
4	ऑन लाइन आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 14 अगस्त 2017 तक
5	आनलाईन आवेदन पूर्ण करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 16 अगस्त 2017 तक सायं 06.00 बजे तक
6.	अभ्यर्थियों द्वारा अपने आनलाईन आवेदन में की गयी त्रुटियों का संशोधन करना	दिनांक 18 अगस्त 2017 से 21 अगस्त 2017 को सायं 06.00 बजे तक
7	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में आवंटित सीटों के सापेक्ष चयन हेतु अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि	दिनांक 28 अगस्त 2017 से 08 सितम्बर 2017 तक
8	अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये संस्थान के विकल्प के क्रम में एन0आई0सी0 लखनऊ द्वारा संस्थान आवंटित करने की तिथि	दिनांक 15.09.2017 तक
9	आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना सम्बन्धित संस्थान द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	दिनांक 22.09.2017 तक
10	अभ्यर्थियों के वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट के क्रम में राजकीय एवं निजी संस्थानों में यदि सीटें अवशेष रह जाती हैं, तो रिक्त सीटों के सापेक्ष चयन हेतु द्वितीय चक्र में अभ्यर्थियों से संस्थान का विकल्प लेने की तिथि	दिनांक 27.09.2017 से 04.10.2017 तक
11	द्वितीय चक्र में आवंटित संस्थान में अभ्यर्थियो	दिनांक 11.10.2017 तक

	द्वारा अभिलेखीय जॉच एवं प्रवेश की कार्यवाही करना तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूचना वेबसाइट पर अपलोड किया जाना	
12	प्रशिक्षण प्रारम्भ	दिनांक 12.10.2017 से

डॉ0 (श्रीमती सुत्ता सिंह)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0, इलाहाबाद

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लियजाने वाले शुल्क का मदवार विवरण निम्नवत् है –

जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में डी0एल0एड0 प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का मदवार विवरण

क्र0सं0	मद	प्रथम वर्ष का शुल्क	द्वितीय वर्ष का शुल्क
1.	शिक्षण शुल्क (राजकोष में जमा किया जायेगा)	2400	2400
2.	कॉशन मनी (रिफण्डेबल)	2500	–
3.	परिचय पत्र शुल्क	100	100
4.	पत्रिका शुल्क	300	300
5.	क्रीड़ा शुल्क	400	400
6.	क्राफ्ट शुल्क	400	400
7.	विद्युत शुल्क	1200	1200
8.	अनुरक्षण/विकास शुल्क	1400	1400
9.	एक्सपोज़र विज़िट	–	2500
10.	वाचनालय	300	300
11.	विज्ञान एवं कम्प्यूटर शुल्क	1000	1000
12.	आन्तरिक मूल्यांकन/प्रायोगिक परीक्षा	200	200
	योग	**10,200**	**10,200**
	छात्रावास शुल्क (छात्रावास की सुविधा के इच्छुक छात्रों हेतु इसमें मेस का चार्ज सम्मिलित नहीं)	2400	2400

नोट–उक्त शुल्क में परीक्षा शुल्क तथा अंकपत्र शुल्क सम्मिलित नहीं है।